जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः– श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर को जन उपयोगी भवन हेतु भूमि आवंटन कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर को जन उपयोगी भवन स्वर्णकारी कार्य प्रशिक्षण कार्यशाला भवन निर्माण तथा सिलाई, आरी–तारी का कार्य हेतु जयपुर के आस–पास किसी भी क्षेत्र में 2500 वर्गगज निःशुल्क भूमि आवंटन कराने के क्रम में जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत् आवेदन पत्रो की छायाप्रतियॉ इस यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

कृपया प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

संलग्न–आवेदन पत्रो की छायाप्रतियॉ।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

सिस्टम एनालिस्ट

क्रमांकः जविप्रा/अआ/एलपीसी/2022/डी– 312

दिनांकः– 10/06/2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-0141-2570122} : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: {7019}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः 81-912 दिनांक 10/06/2022

विज्ञप्ति

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर को जन उपयोगी भवन स्वर्णकारी कार्य प्रशिक्षण कार्यशाला भवन निर्माण तथा सिलाई, आरी–तारी का कार्य हेतु जयपुर के आस–पास किसी भी क्षेत्र में 2500 वर्गगज निःशुल्क भूमि आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण
Jaipur Development Authority

पंजीयन
Registrat

3957

नागरिक सेवा केन्द्र

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

file movement slip

किससे	किसको	दिनांक	लघुहस्ताक्षर dispatcher	लघुहस्ताक्षर receiver
Architect 4735 3/3/22		TDR	3/3/22	DA(S) 4/3/22

/07/2022

AD JAIPUR

दिनांक
Date

संख्या
Pages

दिनांक : 02/03/22

स्थान : ....

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जयपुर विकास प्राधिकरण

Jaipur Development Authority

नागरिक सेवा केन्द्र
Citizen Care Center

पंजीयन क्रमांक Registration No.
395704

प्राप्ति (Receipt)

ked CCC Reg. Nos.:			
के लिए अनुरोध किया है। :- uested For	Institutional Land Allotment (CCC-14)		
दिनांक eipt Date	02/03/2022	नियत दिनाक Due Date	14/07/2022

आवेदक का ब्यौरा (Applicant's Details)

दक का नाम licant Name	SH. SHRI BRAHMAN SWARNKAR PANCHAYAT SABHA
/पति का नाम er's/Husband's Name	SH. PRESIDENT - SURESH KUMAR SONI
ress	A - 180 PADMAWATI COLONY GALI NO. 5 NIRMAN NAGAR AJMER ROAD JAIPUR, - PIN:

चाही गई सेवा से सम्बन्धित भूखण्ड का विवरण (Concerned Plot Details)

कर्ता का प्रकार eloper Type		विकासकर्ता का नाम Developer Name			
का नाम me Name					
की लोकेशन me Location			भूखण्ड का प्रकार Type Of Plot		
संख्या No.		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)/(वर्ग मीटर में) Plot Area (Sq.Yds.) /(Sq. Mtr.)			
सं. n No		राशि (रूपयों में) Fee In Rs.		दिनांक Date	

सलंग्न दस्तावेज (Document(s) enclosed)

सलंग्न दस्तावेज की सूची (List of additional document(s))		दस्तावेजों की संख्या Total Documents		पृष्ठों की संख्या No.of Pages	
DD NO. 277737 RS - 5000 & DOC. PHOTO COPY					

कार्यालय	AC(LPC)	सम्बन्धित अधिकारी	AC (LPC)	प्रभारी अधिकारी	AC (LPC)

नहीं छु

पूर्णतः

करने,

दिनांक :

स्थान :..

प्रपत्र- अ (3) 70

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी की आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1.	संस्था/ संगठन का नाम	श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	सुरेश कुमार सोनी अध्यक्ष
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	A-180 पद्मावती कोलोनी गली नं. 5 किंग्स रोड निर्माण नगर अजमेर रोड जयपुर 302019 9461047293 9460756537
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	जन उपयोगी भवन, होस्टल व स्वर्णकला प्रशिक्षण केन्द्र महिलाओं का आरीतारी व सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	2500 वर्गमीटर या दो एकड़
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	2500 वर्गमीटर दो हजार पांच सौ वर्ग मीटर
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	जन उपयोगी भवन, होस्टल व स्वर्णकला प्रशिक्षण केन्द्र महिलाओं का आरीतारी व सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	कोई भूमि आवंटित नहीं कि गयी है
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i)	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है
(ii)	बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स	संलग्न है
(iii)	गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	संलग्न है
(iv)	संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है
(v)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न है
(vi)	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर 406400 D. No 2091 RCC JAIPUR FINACLE dated 02.03.2022 XAE 277737 शाखा क्रमांक 0093/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णत: पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :......02/03/22

स्थान :..............जयपुर

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
सुरेश कुमार सोनी अध्यक्ष
नाम व पद

(मोहर: श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर)

90 2 (5)

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर

प्रपत्र-अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1.	संस्था/संगठन का नाम	:	श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	:	सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.		ए-180, पदमावती कालोनी, गली नं.5, निर्माण नगर, अजमेर रोड जयपुर-302019 94610 47293, 9460956527
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य		जन उपयोगी भवन, हॉस्टल व स्वर्णकला प्रशिक्षण केन्द्र, महिलाओं का आरी-तारी व सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)		2500 वर्गमीटर या 2 एकड़ राज्य सरकार के आदेश राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(4) राज-6/2001/28 दिनांक 21.05.2001 के संदर्भ में।
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		2500 वर्गमीटर
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्था, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)		जन उपयोगी भवन, हॉस्टल व स्वर्णकला प्रशिक्षण केन्द्र, महिलाओं का आरी-तारी व सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण		जयपुर क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भूमि पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम या आवासन मण्डल द्वारा आवंटित नहीं की गई है।
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज		
	(i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र		रजिस्ट्रेशन संख्या 538/82-83 रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं, जयपुर।
	(ii) बाईलॉज/रेग्युलेशन्स		संलग्न हैं

अध्यक्ष

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)

जयपुर

(5)

	(iii) गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेंस शीट	पूर्व कार्यकारिणी के द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण संलग्न नहीं है, चार्ज मिलने पर संलग्न कर दी जायेगी।
	(iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	कार्यवाही रजिस्टर की प्रति संलग्न है।
	(v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है।
	(vi) रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने परआवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन,भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांकः-...........................
स्थानः- ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सुरेश कुमार सोनी
अध्यक्ष
नाम व पद

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

रजि. क्र. 538/82–83

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर

कार्यालयः मन्दिर श्री सीताराम जी, चौड़ा रास्ता, जयपुर–302003

5 पत्र व्यवहार पता

अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष
सुरेश कुमार सोनी (काला)	योगेश मंडोरा	कमलेश महेचा
ए–180, पदमावती कालोनी,	ए–29 बी, श्याममित्र मण्डल नगर	1/783, मालवीय नगर, जयपुर
गली नं. 5, निर्माण नगर, जयपुर	रोड नं. 5, सीकर रोड, जयपुर	मो. 98298 45854
मो. 94610 47293, 9460956527	मो. 94602 36035	

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अमृत लाल मथुरिया
94143 44623

उपाध्यक्ष
नितिन कट्टा
[redacted]26616

उपमंत्री
विशाल हेमकार
94140 57597

कार्यकारिणी सदस्य
खेमचन्द साकरिया
98296 51992

महेश कट्टा
98872 59720

हेमप्रकाश महेचा
89478 89737

पुष्पेन्द्र जसमतिया
94140 55484

गिरधारी बाड़मेरा
[redacted]59779

परमेश्वर बाड़मेरा
98285 14414

राजेश मथुरिया
93140 53149

जगदीश राठौड़
92149 93856

कैलाश जसमतिया
93149 60533

रुपेश मथुरिया
97991 00785

योगेश मथुरिया
77909 79836

मनोनीत सदस्य
ओमप्रकाश काला
94149 84770

श्रीमान आयुक्त महोदय,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर को जन उपयोगी भवन, स्वर्णकारी कार्य प्रशिक्षण कार्यशाला भवन निर्माण तथा सिलाई, आरी–तारी का कार्य हेतु निःशुल्क 2500 वर्गगज भूमि जयपुर के आस–पास किसी भी क्षेत्र में आवंटित कराने बाबत।

प्रसंगः आपके कार्याका पत्र क्रमांक एफ( )अ.आ.(एलपीसी)/जविप्रा/2019/डी–743 दिनांक 04.09.2020 के संदर्भ में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र में आपके जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन किया जा रहा है साथ ही यह भी निवेदन है कि राजस्थान सरकार के आदेश राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(4) राज–6/2001/28 दिनांक 21.05.2001 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को दो एकड भूमि निःशुल्क देने के आदेश है। राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश Social Justic & Empowerment Department के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2009 के अनुसार स्वर्णकार/सोनी/सुनार/ जडिया जाति अन्य पिछड़ा वर्ग आती है। (प्रति संलग्न)।

1. यह कि हमारी जाति स्वयं अपने हाथ से कार्य करने वाले कारीगरों की जाति होने के कारण यह जाति अत्यन्त पिछड़ी हुई है। साथ ही यह ज्वेलरी शोरुम वालों के बन्धुआ मजदूर की तरह है, सोने–चांदी के जेवर बनाने का काम कर मजदूरी पाती है। इसके साथ 1962 में गोल्ड कन्ट्रोल एक्ट के लागू होने के समय से यह जाति दिन–प्रतिदिन पिछडती ही जा रही है।

2. यह है कि ब्राह्मण स्वर्णकार/सुनार/सोनी/जडिया के नाम से जयपुर क्षेत्र में कोई भी भूमि भवन नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए जैसे UPSC,RAS, RJS, Doctor, Engineer व अन्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांवों व कस्बों से आने वाले मेधावी छात्र–छात्राओं के लिए होस्टल नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस कारण सरकारी नौकरियों में स्वर्णकार/सुनार/सोनी/ जडिया जाति की संख्या नहीं के बराबर है। अगर हमें भूमि आवंटित की जाती है तो समाज के लोगों से जन सहयोग से धनराशि एकत्रित कर होस्टल का निर्माण कराया जायेगा जहाँ पर पढाई में मेधावी छात्र–छात्राऐं रह कर कम्पीटीशन की तैयारी कर सकेंगे तथा उच्च शिक्षा की

रजि. क्र. 538 / 82–83

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर

कार्यालयः मन्दिर श्री सीताराम जी, चौड़ा रास्ता, जयपुर–302003

पत्र व्यवहार पता

अध्यक्ष
सुरेश कुमार सोनी (काला)
ए–180, पदमावती कालोनी,
गली नं. 5, निर्माण नगर, जयपुर
मो. 94610 47293, 9460956527

मंत्री
योगेश मंडोरा
ए–29 बी, श्याममित्र मण्डल नगर
रोड नं. 5, सीकर रोड, जयपुर
मो. 94602 36035

कोषाध्यक्ष
कमलेश महेचा
1 / 783, मालवीय नगर, जयपुर
मो. 98298 45854

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अमृत लाल मथुरिया
94143 44623

उपाध्यक्ष
नितिन कट्टा
[redacted] 26616

उपमंत्री
विशाल हेमकार
94140 57597

कार्यकारिणी सदस्य
खेमचन्द साकरिया
98296 51992
महेश कट्टा
98872 59720
हेमप्रकाश महेचा
89478 89737
पुष्पेन्द्र जसमतिया
94140 55484
गिरधारी बाड़मेरा
[redacted]59779
परमेश्वर बाड़मेरा
98285 14414
राजेश मथुरिया
93140 53149
जगदीश राठौड़
92149 93856
कैलाश जसमतिया
93149 60533
रुपेश मथुरिया
97991 00785
योगेश मथुरिया
77909 79836

मनोनीत सदस्य
ओमप्रकाश काला
94149 84770

पढाई करने हेतु उन्हें रहने का उचित स्थान मिल सकेगा तथा एक भाग में जन उपयोगी भवन का निर्माण कार्य कराया जायेगा। इस जन उपयोगी भवन का उपयोग शादि विवाह व अन्य सामाजिक कार्यो के लिए किया जायेगा।

हमारी जाति के 90 प्रतिशत परिवार के लोग सोने–चांदी, जडाई व मीनाकारी का कार्य करते हैं। आजकल इस कार्य को करने के लिए नई तकनीकी मशीने आ गई है। अगर हमें भूमि आवंटित की जाती है तो इसके कुछ भाग में एक–दो हाल बनाकर उसमें नई तकनीक से जडाई, मीनाकारी व सोने चांदी के कार्य मशीनों द्वारा कैसे होता है का प्रशिक्षण केन्द्र जन सहयोग द्वारा धनराशि लेकर निर्माण कराया जायेगा।

साथ ही जो छात्र–छात्राऐं कम्प्युटर सीखना चाहते हैं उन्हें वहाँ पर सिखाया जायेगा।

महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढाई व शादियों में पहनने वाले कोटा तारी के बेस, लंहगा, ओढना के सिलाई व आरा–तारी का कार्य सिखाने का कार्य भी किया जायेगा।

शादि विवाह के लिए इसमें कुछ कमरे, हॉल बनाये जायेंगे जिससे समाज के लोगों को शादि विवाह के अलावा अन्य सामाजिक कार्यो के लिए इस जन उपयोगी भवन का लाभ मिल सकेगा।

मुझे आशा है कि इस पुनीत कार्य के लिए सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित कराकर समाज को आगे बढाने के लिए हमें 2500 वर्ग मीटर भूमि अजमेर रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, पानीपेच पुलिस अकादमी, पुलिस अकादमी नेहरू नगर के पास आवंटित कराने की कृपा करेंगे।

हमारा सम्पूर्ण समाज आपका आभारी रहेगा।

धन्यवाद।

सुरेश कुमार सोनी
अध्यक्ष

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

NOTARY
Suresh Sharma
Advocate
JAIPUR (RAJ.)
Regn. No 19121
Expired on
04-02-2025
GOVT. OF INDIA

शपथ पत्र

मैं **सुरेश कुमार सोनी पुत्र स्व. श्री चम्पालाल जी सोनी**, उम्र 71 वर्ष निवासी ए-180, पदमावती कॉलोनी, गली नं.5, निर्माण नगर, अजमेर रोड जयपुर-302019 (राजस्थान) का निवासी हूँ तथा श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर का अध्यक्ष हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह है कि श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर का जयपुर शहर में कोई भी भूखण्ड, जन उपयोगी भवन, छात्रावास, स्वर्णकला प्रशिक्षण केन्द्र, महिलाओं का आरी-तारी व सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र के लिए शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।

2. यह कि आवंटित भूमि का वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर मात्र समाज उत्थान व विकास कार्यो के लिए ही करेंगे।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण संख्या 1 से 2 मे कहे गये कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास के आधार पर सही व सत्य हैं। इसमे ना तो कुछ छिपाया गया है और ना ही असत्य दर्ज कराया है। ईश्वर साक्षी है।

शपथ ग्रहिता

ATTESTED
NOTARY PUBLIC, JAIPUR
28 FEB 2022

28 FEB 2022

...378 विक्रय दिनांक..........
...को सुरेश कुमार सोनी / अध्यक्ष श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर
...धरीदने संबंधित कार्य का मूल्यांकन 21454

राजन गुप्ता
नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं. 120/11-12 जयन्ती बाजार, जयपुर

28 FEB 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत आधसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3–क)–10% रूपये ....5....
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3–ख)/प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु–20% रूपये ....10....
कुल योग 15 हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

8

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No 1047/30012/00855

To,
सुरेश कुमार सोनी
Suresh Kumar Soni
S/O Chammpa Lal Soni
A-180I CO
PADMAWATI COLONY GALI NO 05
NIRMAN NAGAR KE PASS KINGS ROAD AJMER road
Jaipur
Shyam Nagar Jaipur
Rajasthan 302019
9461047293

14/12/2011

स्वर्णकार पंचायत सभा
जयपुर

Ref: 402 / 11B / 479986 / 481194 / P

UE045926678IN

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

4952 6985 1561

आधार – आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सुरेश कुमार सोनी
Suresh Kumar Soni
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1951
पुरुष / Male

4952 6985 1561

आधार – आम आदमी का अधिकार

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 33/97
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

पौष 14, मंगलवार, शाके 1921—जनवरी 4, 2000
Pausa 14, Tuesday, Saka 1921—January 4, 2000

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 1, 2000

संख्या एफ 11 (125) (6) आर एण्ड पी/सकवि/01.-इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ11(125) आर एण्ड पी/सकवि/52307, दिनांक 6 अगस्त 1994, क्रमांक 92810, दिनांक 24 दिसम्बर, 1994, क्रमांक 12099 [redacted]क 15 मार्च, 1997 एवं क्रमांक 74085 दिनांक 3 नवम्बर, 1999 क्रमांक 75681 दिनांक 12 नवम्बर, 1999 जो क्रमशः राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 1(ख) में दिनांक 8 अगस्त 1994, 24 दिसम्बर 1994, 22 मार्च 1997, 6 नवम्बर 1999 एवं 15 नवम्बर 1999 को प्रकाशित हुई थी के अनुक्रम में राजस्थान के पिछड़े वर्गों की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े वर्गों के नाम जोडे जाते हैं –

क्र.सं.	वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	अधिसूचना दिनांक 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97. 3.11.99, एवं 12.11.99 द्वारा जारी सूची की क्रम संख्या जिस पर इस जाति को जोडा गया है।
1.	विश्नोई	क्रम संख्या 60 पर ''विश्नोई''
2.	मेव	क्रम संख्या 61 पर ''मेव''
3.	गद्दी	क्रम संख्या 62 पर ''गद्दी''
4.	कचेरा	क्रम संख्या 32 पर लखेरा (लखारा) के आगे ''कचेरा''
5.	जड़िया	क्रम संख्या 50 पर स्वर्णकार, सुनार, सोनी के आगे ''जड़िया''
6.	फारूकी भटियारा	क्रम संख्या 63 पर ''फारूकी भटियारा''
[redacted]	सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त)	क्रम संख्या 64 पर ''सिलावट'' ''(सोमपुरा, मूर्तिकार कें अतिरिक्त)''
8.	सिद्ध	क्रम संख्या 24 पर जोगी, नाथ के आगे ''सिद्ध''
9.	पटेल, पाटीदार आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी	क्रम संख्या 28 पर कनबी, कलबी के आगे ''पटेल, पाटीदार आंजणा, डांगी पटेल, कुलमी''
10.	नीलगर	क्रम संख्या 8 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा खट्टीछीपा, रंगरेज के आगे ''नीलगर''
11.	खेरवा	क्रम संख्या 65 पर ''खेरवा''
12.	धोबी (मुस्लिम)	क्रम संख्या 66 पर ''धोबी (मुस्लिम)''
13.	कायमखानी	क्रम संख्या 67 पर ''कायमखानी''
14.	कुंजडा, राइन	क्रम संख्या 68 पर ''कुंजडा, राइन''
15.	कसाई	क्रम संख्या 56 पर हलाली के आगे ''कसाई''
अनुसूचित जातियों में सम्मिलित हिन्दू जातियों के प्रतिरूप गैर–हिन्दू जातियां		
16.	सपेरा	क्रम संख्या 69 पर ''सपेरा (गैर हिन्दू जाति)''

17.	मदारी, बाजीगर	क्रम संख्या 70 पर "मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दू जाति)"
18.	नट	क्रम संख्या 71 पर "नट (गैर हिन्दू जाति)"

आज्ञा से,
फतेह सिंह चारण,
शासन , सचिव ।

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 1, 2000

No. F. 11(125) (6) R&P/SWD/99/01.—In continuation of this Department Notification No. F. 11(125) R&P/SWD/52307 dated 6th August, 1994, No. 92810 dated 24th December, 1994 No. 12099 dated 15th March, 1997, 74085 dated 3rd Nov., 1999 and 75681 dated 12th Nov., 1999, which were published in the Extra-ordinary Gazette Part-1(Kha) of Rajasthan dated 8.8.94, 24.12.94, 22.3.97, 6.11.99, and 15.11.99 respectively, the following backward classes are added to the existing list of Backward Classes with immediate effect:-

S.No.	Class which has been added to the existing list Caste has been added.	Serial No. of the existing list notified on 6.8.94, 24.12.94, 15.3.97, 3.11.99 and 12.11.99 to which this
1.	VISHNOI	In S.No. 60 "VISHNOI"
2.	MEV	In S. No. 61 "MEV"
3.	GADDEE	In S. No. 62 "GADDEE'
4.	KACHERA	In S. No. 32 "KACHERA" after word "LAKHERA (LAKHARA)"
5.	JADIA	In. S. No. 50 "JADIA" after word "SWARNKAR, SUNAR, SONI"
6.	FAROOKI BHATIYARA	In. S. No. 63 "FAROOKI BHATIYARA"
7.	SILAWAT (Other Than SOMPURA & MURTIKAAR)	In S. No. 64 "SILAWAT" (Other Than Sompura and Murtikaar)
8.	SIDH	In S. No. 24 after word "JOGI, NATH" add "SIDH"
9.	PATEL PATIDAR, ANJANA, DANGIPATEL, KULMI	In S. No. 28 after word "KANBI, KALBI" Add "PATEL, PATIDAR ANJANA, DANGI PATEL, KULMI"
10.	NEELGAR	In S. No. 8 after word "CHHIPA (CHHIPI), BHAVSAR, NAMA KHATTI CHHIPA, RANGREJ, add "NEELGAR"
11.	KHERWA	In S. No. 65 "KHERWA"
12.	DHOBI (MUSLIM)	In S. No. 66 "DHOBI (MUSLIM)"
13.	KAYAMKHANI	In S. No. 67 "KAYAMKHANI"
14.	KUNJADA, RAEN	In S. No. 68 "KUNJADA, RAEN"

(97-13)

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*
भाद्र 5, गुरुवार, शाके 1931–अगस्त 27, 2009
Bhadra 5, Thursday, Saka 1931–August 27, 2009

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 25, 2009

S.O.185.–In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes, and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009), the State Government hereby declare the following classes within the State as the Special Backward Classes for the purposes of the said Act, namely:-

S.No.	Special Backward Classes
1.	Banjara, Baladia, Labana
2.	Gadia-Lohar, Gadolia
3.	Gujar, Gurjar
4.	Raika, Rebari (Debasi)

[No. F.11(164)R&P/SJED/09/46855]

By Order of the Governor,

पी. एस. मेहरा,

Secretary to Government.

14

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 25, 2009

S.O.186.–In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes, and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009), the State Government hereby declare the following classes within the State as the Backward Classes for the purposes of the said Act, namely:-

S.No.	Name of Backward Classes
1	2
1.	Ahir (Yadav)
2.	Badai, Jangid, Khati, Suthar, Tarkhan
3.	Badwa, Jachak, Bhat, Jaga, Rao
4.	Bagaria
5.	Bharbhuja
6.	Charan
7.	Chhipa (Chhipi), Bhavsar, Nama, Khatti Chippa, Rangrej, Neelgar
8.	Chobdar
9.	Chungar
10.	Dakaut, Deshantri, Rangasami (Adbhopa)
11.	Dangi

1	2
12.	Daroga, Ravana-Rajput, Hazuri, wazir
13.	Darzi
14.	Deshwali
15.	Dhakad
16.	Dhivar, Kahar, Bhoi, Sagarvanshi-Mali, Keer, Mehra, Mallah (Nishad), Bari, Bhisti, Machhuara
17.	Dhobi (Muslim)
18.	Farooki Bhatiyara
19.	Gadaria (Gadri), Gayri, Ghosi (Gvala)
20.	Gaddee
21.	Gadeet Nagauri
22.	Ghanchi
23.	Giri, Gosain (Gushain)
24.	Halali, Kasai
25.	Hela
26.	Jagri
27.	Janwa, khardiya (Sirvi)
28.	Jat
29.	Jogi, Nath, Sidh
30.	Julaha
31.	Kachhi (Kushwaha), Shakya
32.	Kalal (Tak), Kalal (Mewara), Kalal (Suwalka), Kalal (Jaiswal), Kalal (Ahluwalia), Kalal (Patel)
33.	Kanbi, Kalbi, Patel, Patidar, Anjana, Dangi Patel, Kulmi
34.	Kandera, Pinjara

16

1	2
35.	Kayamkhani
36.	Kharol (Kharwal)
37.	Kheldar
38.	Kherwa
39.	Kirar (Kirad)
40.	Kotwal/Kotwal
41.	Kumhar (Prajapati), Kumawat, Suara
42.	Kunjada, Raen
43.	Lakhera (Lakhara), Kachera, Manihar
44.	Lodhe-Tanwar
45.	Lodhi (Lodha)
46.	Lohar, Panchal
47.	Madari, Bazigar (Non Hindu Caste)
48.	Maha-Brahman (Acharaj), Fakir (Working in Kabristan)
49.	Mali, Saini, Bagwan
50.	Mer, (Mehrat-Kathat, Mehrat-Ghodat, Cheeta)
51.	Mev
52.	Mirasi, Dhadi, Langa/Mangniyar
53.	Mochi (Non Hindu Caste)
54.	Mogia (Mogya)
55.	Multanies
56.	Nagarchi-Damami, Rana, Baiti (Barot)
57.	Nai, Sain, Vednai
58.	Nut (Non Hindu Caste)
59.	Nyaria (Nyargar)

1	2
60.	Odd
61.	Orphan Children
62.	Patwa (Phadal)
63.	Raisikh
64.	Ratth
65.	Rawat
66.	Sad, Swami, Bairagi, Jangam
67.	Sapera (Non Hindu Caste)
68.	Satiya-Sindhi
69.	Sikligar, Bandooksaz (Usta)
70.	Silawat (other than Sompura and Murtikaar), Chejara
71.	Sindhi Musalman
72.	Sirkiwal
73.	Sondhia
74.	Swarankar, Sunar, Soni, Jadia
75.	Tamoli (Tamboli)
76.	Teli
77.	Thathera, Kansara (Bharava)
78.	Vishnoi

[No.F.11(164)R&P/SJED/09/47032]
By Order of the Governor,
पी. एस. मेहरा,
Secretary to Government.

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 25, 2009

S.O.187.–The State Government hereby makes the

following amendment in this department's notification number F. 11(125)R&P/SWD/92-93/52307 dated August 6, 1994 published in the Rajasthan Gazette, Part 1(Kha), Extra Ordinary dated August 8, 1994, as amended from time to time, namely:–

Amendment

In the said notification, for the existing expression "all purposes", the expression "all purposes, except for the purposes of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009)," shall be substituted.

[No. F.11(125)R&P/SJED/09/47386]

By Order,

पी. एस. मेहरा,

Secretary to Government

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2009

एस.ओ.188.–राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 2 के खण्ड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य में ऐसे व्यक्तियों को जो उक्त अधिनियम के अधीन आरक्षण के अन्य प्रवर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, और जो,

केन्द्रीय अथवा राज्य सूची में सम्मिलित बी.पी.एल. परिवार (जिसमें पति–पत्नी एवं आश्रित बच्चे एक इकाई होंगे) के सदस्य हैं,

या

ऐसे परिवार (जिसमें पति–पत्नी एवं आश्रित बच्चे एक इकाई होंगे) जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अनधिक हो, के सदस्य हैं, को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु "आर्थिक पिछड़ा वर्ग" अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 11(164)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./07/47209]

राज्यपाल की आज्ञा से,

प्रेम सिंह मेहरा,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

22.	घांची
23.	गिरी, गोसाई (गुशांई)
24.	हलाली, कसाई
25.	हेला
26.	जागरी
27.	जणवा, खारडीया (सीरवी)
28.	जाट
29.	जोगी, नाथ, सिद्ध
30.	जुलाहा
31.	काछी (कुशवाहा), शाक्य
32.	कलाल (टाक), कलाल (मेवाड़ा), कलाल (सुवालका), कलाल (जायसवाल), कलाल (अहलूवालिया), कलाल (पटेल)
33.	कनबी, कलबी, पटेल, पाटीदार, आंजणा, डांगो पटेल, कुलमी
34.	कन्डेरा, पिंजारा
35.	कायमखानी
36.	खारोल (खारवाल)
37.	खेलदार
38.	खेरवा
39.	किरार (किराड)
40.	कोतवाल / कोटदाल
41.	कुम्हार (प्रजापति), कुमावत, सुआरा
42.	कुंजडा, राइन
43.	लखेरा (लखारा), कचेरा, मनिहार
44.	लोढे–तंवर
45.	लोधी (लोधा)
46.	लोहार, पांचाल
47.	मदारी, बाजीगर (गैर हिन्दू जाति)
48.	महा–ब्राह्मण (अचारज), फकीर (कब्रिस्तान में कार्य करने वाले)
49.	माली, सैनी, बागवान
50.	मेर (मेहरात–काठात, मेहरात–घोड़ात, चीता)
51.	मेव
52.	मिरासी, ढाड़ी, लंगा / मंगनियार
53.	मोची (गैर हिन्दू जाति)
54.	मोगिया (मोग्या)
55.	मुल्तानीज
56.	नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट)
57.	नाई, सैन, वेदनाई
58.	नट (गैर हिन्दू जाति)
59.	न्यारिया (न्यारगर)
60.	ओड
61.	अनाथ बच्चे
62.	पटवा (फदाल)
63.	रायसिख
64.	राठ
65.	रावत
66.	साद, स्वामी, बैरागी, जंगम
67.	सपेरा (गैर हिन्दू जाति)
68.	सतिया–सिंधी
69.	सिकलीगर, बन्दूकसाज (उस्ता)
70.	सिलावट (सोमपुरा, मूर्तिकार के अतिरिक्त), चेजारा
71.	सिन्धी मुसलमान
72.	सिरकीवाल
73.	सोंधिया
74.	स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया
75.	तमोली (तम्बोली)
76.	तेली
77.	ठठेरा, कन्सारा (भरावा)
78.	विश्नोई

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह./-

(प्रेम सिंह मेहरा)
शासन सचिव"

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ.11(164)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./09/५९२६७ जयपुर, दिनांकः २८-८-०९

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. F.11(164)R&P/SJED/09/47032 Jaipur Dated 25-8-09 का हिन्दी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मेहरा)
शासन सचिव

"राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ.11(164)आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./09/47032 जयपुर, दिनांकः 25–8–09

अधिसूचना

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 2 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य के भीतर निम्नलिखित वर्गों को इसके द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित करती है, अर्थातः–

क्र0सं0	पिछड़े वर्गों के नाम
1.	अहीर (यादव)
2.	बढई, जांगिड़, खाती, सुथार, तरखान
3.	बडवा, जाचक, भाट, जागा, राव
4.	बागरिया
5.	भडभूजा
6.	चारण
7.	छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर
8.	चोबदार
9.	चूनगर
10.	डाकोत, देशांतरी, रंगासामी (अडभोपा)
11.	दांगी
12.	दरोगा, रावणा–राजपूत, हजूरी, वजीर
13.	दर्जी
14.	देशवाली
15.	धाकड
16.	धीवर, कहार, भोई, सगरवंशी–माली, कीर, मेहरा, मल्लाह (निषाद), बारी, भिश्ती, मछुआरा
17.	धोबी (मुस्लिम)
18.	फारूकी भटियारा
19.	गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (ग्वाला)

14 ~~22~~

राजस्व ग्रुप – 6 विभाग

क्रमांक प.6(4) राज–6/2001/28 दिनांक 21.05.2001

: अधिसूचना :

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का (राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग के आदेश क्रमांक पं. 5 (109) राजस्व/बी/60 दिनांक 20.7.1963 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

1. उक्त आदेश के खण्ड 3 के उप–खण्ड (पप) में विद्यमान परन्तकु के पश्चात निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :–

"परन्तुक यह ओर कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्गों या अल्पसंख्यकों के लिये सामुदायिक केन्द्र, होस्टल या विद्यालय भवन के लिए क्रमशः 5/16, 2 और 2 एकड़ तक के क्षेत्र की भूमि निःशुल्क आवंटित की जा सकेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

शासन उप सचिव, राजस्व

शासन उप सचिव राजस्व.

15
23

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAGAS8609C

नाम / Name

SHRI BRAHMAN SWANKAR
PANCHYAT SABHA JAIPUR

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation

12/11/1982

03120

In case this card is lost / found, kindly inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, UTIITSL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं :
आयकर पैन सेवा यूनिट, UTIITSL
प्लाट नं: ३, सेक्टर ११, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई-४००६१४

Aaykar Sampark Kendras
For Income Tax Related
Queries call Toll Free Nos.
1961
or
18001801961

Help

A/c. ID	4064000100169627 INR 406400 SHRI BRAHMAN SWARNKAR PANCHAYAT SABHA JAIPUR		
A/c. Status	ACTIVE	A/c. Status Date	10-03-2021
A/c. Open Date	10-03-2021	A/c. Close Date	
GL Subhead	05100	A/c. Type	CUSTOMER ACCOUNT
Opening Bal.	INR 11,000.00 CR.	Available Amt.	INR 1,37,808.60 CR.
Closing Bal.	INR 1,37,808.60 CR.	Effective Available Amt.	INR 1,37,808.60 CR.
Funds in Clg.	INR 0.00 CR.	Float Bal.	INR 0.00 CR.

Page 1 of 1

Tran. Date	Value Date	Instr. No.	Particulars	CCY	Debit Amt.	Credit Amt.	Bal.
02-03-2022	02-03-2022		TO DD COMM	INR	59.00		1,37,808.60CR.
02-03-2022	02-03-2022	XXXXXX	TO DD	INR	5,000.00		1,37,867.60CR.
26-02-2022	26-02-2022		IMPS-IN/205710412516/9414237653/PANKAJ H	INR		2,100.00	1,42,867.60CR.
27-01-2022	27-01-2022		UPI/202757122073/P2A/7014663061/ifsc.npciRUPESH SO	INR		2,400.00	1,40,767.60CR.
05-01-2022	05-01-2022		SMS CHRG FOR:01-10-2021to31-12-2021	INR	17.70		1,38,367.60CR.
31-12-2021	31-12-2021		UPI/136548018720/P2A/9828446002/ifsc.npciMANOJ KUM	INR		2,700.00	1,38,385.30CR.
31-12-2021	31-12-2021		UPI/136545935485/P2A/9828446002/ifsc.npciMANOJ KUM	INR		1.00	1,35,685.30CR.
11-12-2021	11-12-2021		IMPS-IN/134514618436/9829651992/KHEM CHA	INR		7,100.00	1,35,684.30CR.
11-12-2021	11-12-2021		UPI/134511572981/P2A/9829845854/ifsc.npciMALIKA JE	INR		2,100.00	1,28,584.30CR.
11-12-2021	11-12-2021		UPI/134511544045/P2A/9829845854/ifsc.npciMALIKA JE	INR		2,100.00	1,26,484.30CR.
11-12-2021	11-12-2021		NEFT ANIL KUMAR SONI S/O SHANKAR	INR		1,000.00	1,24,384.30CR.
11-12-2021	11-12-2021		IMPS-IN/134509513792/9414517534/ANIL KUM	INR		10,000.00	1,23,384.30CR.
06-12-2021	01-12-2021		4064000100169627:Int.Pd:01-09-2021 to 30-11-2021	INR		682.00	1,13,384.30CR.
17-11-2021	17-11-2021		BY CASH -613900	INR		10,565.00	1,12,702.30CR.
16-11-2021	16-11-2021		BY INST 524021 : CTO231-1 DAY LAT	INR		5,000.00	1,02,137.30CR.
23-10-2021	23-10-2021		NEFT VISHAL HEMKAR	INR		5,000.00	97,137.30CR.
06-10-2021	06-10-2021		SMS CHRG FOR:01-07-2021to30-09-2021	INR	17.70		92,137.30CR.
05-10-2021	05-10-2021	XXXXXX	HEMANT KUMAR GUPTA	INR	10,000.00		92,155.00CR.
18-09-2021	18-09-2021		BY INST 107277 : CTO231-1 DAY LAT	INR		25,000.00	1,02,155.00CR.
15-09-2021	15-09-2021		UPI/125872006840/P2A/9509213854/ifsc.npciMUKESH KU	INR		11,000.00	77,155.00CR.
09-09-2021	09-09-2021		BY CASH -613900	INR		10,100.00	66,155.00CR.

पंजाब नैशनल बैंक वि.स. 4064 नेहरू प्लेस, जयपुर

07-09-2021	07-09-2021	XXXXXX SHRI AJMEEDH SWARNKAR SE	INR	2,500.00		56,055.00CR.
05-09-2021	01-09-2021	4064000100169627:Int.Pd:01-06-2021 to 31-08-2021	INR		429.00	58,555.00CR.
04-09-2021	04-09-2021	XXXXXX TO SURESH KUMAR SONI	INR	12,000.00		58,126.00CR.
03-09-2021	03-09-2021	XXXXXX QUALITY PRINTERS	INR	27,750.00		70,126.00CR.
31-08-2021	31-08-2021	By DD Num 20910268 Paid -297600V	INR		12,500.00	97,876.00CR.
30-08-2021	30-08-2021	XXXXXX QUALITY PRINTERS	INR	30,000.00		85,376.00CR.
29-08-2021	29-08-2021	NEFT SHIV SHAKTI TRADERS	INR		2,500.00	1,15,376.00CR.
19-08-2021	19-08-2021	BY INST 185107 : CTO231-1 DAY LAT	INR		5,000.00	1,12,876.00CR.
19-08-2021	19-08-2021	BY INST 981418 : CTO231-1 DAY LAT	INR		2,500.00	1,07,876.00CR.
17-08-2021	17-08-2021	IMPS-IN/122912246603/9782145817/SIDDHI V	INR		5,100.00	1,05,376.00CR.
15-08-2021	15-08-2021	NEFT ISHWAR ART JEWELLARY	INR		2,500.00	1,00,276.00CR.
09-08-2021	09-08-2021	NEFT Mr AMRIT LAL SONI	INR		5,000.00	97,776.00CR.
08-08-2021	08-08-2021	IMPS-IN/122009150276/9414752473/LAXMI UD	INR		5,500.00	92,776.00CR.
31-07-2021	31-07-2021	IMPS-IN/121213648490/8302288391/VBHKUNDA	INR		5,100.00	87,276.00CR.
31-07-2021	31-07-2021	BY GANESHAM HARDWARES PRO	INR		2,500.00	82,176.00CR.
28-07-2021	28-07-2021	NEFT AMBEY TRADING CO	INR		5,000.00	79,676.00CR.
27-07-2021	27-07-2021	IMPS-IN/120817766460/9461007080/GIRISHKU	INR		2,500.00	74,676.00CR.
27-07-2021	27-07-2021	NEFT RAJESH SONI	INR		2,500.00	72,176.00CR.
25-07-2021	25-07-2021	NEFT NARAYAN GEMS AND JEWELLERS	INR		5,000.00	69,676.00CR.
23-07-2021	23-07-2021	NEFT NITIN KATTA	INR		5,100.00	64,676.00CR.
21-07-2021	21-07-2021	XXXXXX QUALITY PRINTERS	INR	21,000.00		59,576.00CR.
19-07-2021	19-07-2021	UPI/120039376156/P2A/9251572086/ifsc.npciRAVI SONI	INR		2,500.00	80,576.00CR.
19-07-2021	19-07-2021	UPI/120061502236/P2A/9251572086/ifsc.npciRAVI SONI	INR		1.00	78,076.00CR.
14-07-2021	14-07-2021	NEFT PARMESHWAR SONI	INR		5,000.00	78,075.00CR.
14-07-2021	14-07-2021	PRASUN ENTERPRISES	INR		5,000.00	73,075.00CR.
12-07-2021	12-07-2021	NEFT MANGAL CHAND SONS JEWELLERS PRIVATE	INR		12,000.00	68,075.00CR.

पंजाब नैशनल बैंक वि.सं. 4064 ... प्लेस, जयपुर

12-07-2021	12-07-2021	UPI/119369303905/P2A/9024259779/ifsc.npciMANOHARI	INR		2,500.00	56,075.00CR.
12-07-2021	12-07-2021	UPI/119312788650/P2A/9829845854/ifsc.npciKAMLESH S	INR		2,500.00	53,575.00CR.
08-07-2021	08-07-2021	BY CASH	INR		40,000.00	51,075.00CR.
08-06-2021	01-06-2021	4064000100169627:Int.Pd:10-03-2021 to 31-05-2021	INR		75.00	11,075.00CR.

OK

पंजाब नैशनल बैंक
वि.सं. 4064
नेहरू प्लेस, जयपुर

50

।। श्री गणेशाय नमः ।।

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा
जयपुर

संशोधित संविधान/नियमावली – वर्ष 2021

प्रस्तावना

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर, जयपुर शहर के ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के सभी निवासियों/परिवारों का एक संगठन है । इस संस्था का उद्देश्य अपने समाज के सभी सदस्यों, बंधुओं एवं महानुभावों का सामाजिक व बौद्धिक स्तर पर विकास करना, उनकी व्यवसायिक दक्षता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना तथा समय समय पर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि उनके हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के साथ साथ संस्था का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रोशन हो सके । इसके अलावा समाज में व्याप्त रुढ़िवादिता/कुरीतियों एवं पिछड़ेपन को समाप्त कर उसे प्रगतिशील एवं पूर्ण रुप से विकसित समाज बनाना भी इस संस्था का उद्धेश्य है । समय परिवर्तनशील है । पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी से परिवर्तन आया है । मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाईट्स, ई–मेल, फेसबुक, वाट्सऐप तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सुविधाओं/ उपकरणों ने मनुष्य की जिंदगी को आमूलचूल बदल कर रख दिया है । अतः इस तेजी से बदलते हुए समय एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुए संस्था के संविधान/नियमावली में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होने पर इसे निम्नानुसार नया स्वरुप दिया जाना प्रस्तावित है –

नियम : 1 – संस्था का नाम

(1) सभी संबंधितों द्वारा इस संस्था को "श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर" के नाम से संबोधित किया जायेगा ।

(2) भविष्य में इस संस्था का नाम अपरिवर्तनीय रहेगा ।

(3) इस नियमावली में आगे "श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा, जयपुर" को "संस्था" के नाम से संबोधित किया गया है ।

Yogesh Son
मंत्री
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Su[illegible] Chand Meena
Designation : [illegible]GISTRAR
Date: 2021.07.2[illegible] 07:40 IST
Reason: Approved
Location:

नियम : 2 – संस्था का कार्यालय

(1) संस्था का कार्यालय निर्वाचित अध्यक्ष के निवास स्थान पर रहेगा ।

(2) वह अपने निवास के पते से संस्था का समस्त पत्र व्यवहार कर सकेंगे ।

(3) जयपुर शहर में संस्था के भवन का निर्माण होने के बाद कार्यकारिणी के प्रस्ताव द्वारा संस्था का कार्यालय वहां स्थानांतरित किया जा सकेगा ।

नियम : 3 – संस्था के लक्ष्य एवं उद्वेष्य

संस्था के निम्नलिखित लक्ष्य एवं उद्वेष्य होंगे –

(1) संस्था के सभी सदस्यों/बंधुओं को संगठित कर उनमें शैक्षणिक, व्यावसायिक, आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक चेतना उत्पन्न करना ।

(2) संस्था हेतु राज्य सरकार से न्यूनतम टोकन राषि (राशि) पर रियायती दर पर भूमि आवंटित कराना तथा आवंटित कराई गई भूमि पर संस्था का कार्यालय, जन–उपयोगी भवन, हॉस्टल, विद्यालय, छात्रावास, वाचनालय, पुस्तकालय, बुक–बैंक, लघु उद्योग शालाओं आदि का भवन निर्माण कराकर एवं संचालन करना तथा स्वर्णकारी कला के लिये प्रषिक्षण भवन का निर्माण कर समाज को उपलब्ध कराना । औषधालय/चिकित्सालय का भवन निर्माण करना, उसके संचालन की व्यवस्था करना तथा समय समय पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सा षिविरों का आयोजन करना । निर्माण कार्य हेतु सरकारी योजनाओं की सहायता से, संभव हो, तो प्रयास करना ।

(3) चल–अचल संपत्तियों का कय/सृजन करना । धन की व्यवस्था हेतु सरकारी/अर्द्ध–सरकारी/सार्वजनिक/निजी/गैर–सरकारी संस्थाओं इत्यादि से राषि दान स्वरुप प्राप्त करना । भूमि एवं भवन निर्माण हेतु समाज के स्थानीय सदस्यों, अन्य शहरों के लोगों, विधायक/सांसद निधि व आम जनता से दान/सहयोग प्राप्त करना ।

(4) संस्था के विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए सदस्यों को राज्य सरकार/बैंकों से मिलने वाली सुविधाएं (ऋण/आर्थिक सहायता/अनुदान) प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।

(5) समाज के सदस्यों में से नये उद्यमियों को लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु रीको (RIICO) से भूमि आवंटन में सहयोग प्रदान करना ।

(6) संस्था के सोना चांदी (स्वर्णकला) के व्यवसाय में लगे हुए सदस्यों को होलमार्क लाइसेन्स इत्यादि प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।

मंत्री	कोषाध्यक्ष	अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.) जयपुर	श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.) जयपुर	ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Su... Chand Meena
Designation : ...RAR
Date: 2021.07.2... 07:40 IST
Reason: Approved
Location:

(7) संस्था के सोना चांदी (स्वर्णकला) के व्यवसाय में लगे हुए सदस्यों को सोने चांदी के नये जेवरों के निर्माण तथा पुराने जेवरों की मरम्मत इत्यादि से संबंधित कार्यों में मूल्यवान धातु/जेवरों का विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर उनके संचालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि उन्हें अनजाने में कभी किसी आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति से सोने चांदी के आभूषणों की खरीद/फरोख्त करने पर अवांछित कानूनी कार्यवाही से बचाया जा सके । जहां तक संभव हो, पुराना सोना-चांदी बेचने वाले या उनके बदले नया जेवर बनवाने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की फोटो कॉपी प्राप्त करना ।

(8) संस्था के स्वर्णकला कार्य करने वाले सदस्यों के लिए संबंधित विभाग से समय समय पर कैंप लगवाकर आर्टिजन कार्ड बनवाने में सहयोग करना ।

(9) संस्था की स्वर्णकला की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय/राज्यीय/जिला स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं/प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना ।

(10) समाज के साधनहीन छात्रों/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय शुल्क, छात्रावास शुल्क, यूनिफार्म, छात्रवृत्तियां व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(11) शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों/छात्राओं के लिए सरकारी मदद अथवा संस्था के स्तर पर कोष की स्थापना कर आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे उच्च स्तर की सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निजी क्षेत्र की सेवाओं में पदस्थापित हो सके ।

(12) समाज के साधनहीन युवाओं को उच्च शिक्षा (ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट) के पाठ्यक्रमों में आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

(13) समाज के पढ़े लिखे युवाओं को आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए जैसे प्रतियोगी/तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये मदद करना तथा सरकारी कार्यालयों/बैंकों से ब्याज रहित या अल्प ब्याज दर पर लोन प्राप्त करने वाले युवाओं को सहायता करना ।

(14) समाज के परिवारों को अत्याचार के मामलों में विभिन्न नागरिक अधिकारों के प्रति जागरुक करके हर संभव सहायता प्रदान करना ।

(15) समाज के बेसहारा, साधनहीन तथा अनाथ लोगों को नकद आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा इन वर्गों के रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा/भोजन की व्यवस्था कर उनका समुचित पुर्नवास करना ।

(16) समाज की परित्यक्त महिलाओं, विधवाओं, वृद्धजनों को बैंक व्यापारिक गतिविधियों के लिए ऋण/सरकारी अनुदान प्राप्त करने में मदद करना ।

Yogesh Soni
मंत्री
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature valid

Digitally signed by Su... Chand Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.2... 07:40 IST
Reason: Approved
Location:

उन्हें स्वर्णकारी व्यवसाय का प्रषिक्षण दिला कर लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना ।

(17) समाज के साधनहीन बेरोजगार युवाओं को जीविकोपार्जनार्थ स्वर्णकारी कार्य के लिए प्रषिक्षण दिला कर लघु उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता/ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना ।

(18) समाज के आर्थिक रुप से कमजोर/पिछड़े वर्ग के षिषुओं को टीके, दवाईयां, दूध, पोषक आहार सुलभ करा कर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

(19) समाज के आर्थिक रुप से अति पिछड़े वर्ग को व्यापारिक गतिविधि हेतु प्रषिक्षण, ऋण, आर्थिक सहायता तथा अनुदान उपलब्ध कराना । उन्हें समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं, वृद्धावस्था पेंषन, बच्चों की पालनहार योजना तथा सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करना ।

(20) आकस्मिक दुर्घटनाओं/प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, तुफान, अतिवृष्टि व वैष्विक महामारी होने पर समाज बंधुओं से दान, चंदा व सहयोग लेकर समाज बंधुओं अथवा अन्य प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करना ।

(21) समाज के विदुर–विधवा/तलाकषुदा/लड़के–लड़कियों को दूसरी शादी हेतु प्रेरित कर उनकी दूसरी शादी के प्रयास करना ।

(22) सामुहिक शादियों को प्रोत्साहित/आयोजित करना तथा निर्धन व गरीब समाज बंधुओं की शादियों में यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

(23) संस्था की चल–अचल संपत्तियों के नव–निर्माण, रख–रखाव, मरम्मत की व्यवस्था करना व सामाजिक हित के कार्य संपन्न करवाना ।

(24) लक्ष्यों एवं उद्धेष्यों की यह सूची सांकेतिक एवं अनन्तिम है । संस्था आवष्यकतानुसार इन लक्ष्यों/उद्धेष्यों की सूची को घटा–बढ़ा सकेगी ।

नियम : 4 – संस्था की सदस्यता

(1) ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के सभी परिवार के सदस्य, जो जयपुर में निवास करते हैं, वह न्यूनतम वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपये 100/– (अखरे रुपये एक सौ मात्र) अदा कर संस्था के साधारण सदस्य बन सकेंगे । संस्था के नियमित सदस्यों को प्रति वर्ष माह जनवरी में रुपये 100/– (अखरे रुपये एक सौ मात्र) वार्षिक सदस्यता शुल्क की राषि अग्रिम जमा करानी होगी । वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कराने वाला सदस्य ही मतदान में भाग लेने का अधिकारी होगा ।

मंत्री
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Su[illegible] Chand Meena
Designation : [illegible]RAR
Date: 2021.07.2[illegible]07:40 IST
Reason: Approved
Location:

(2) कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर सदस्यता शुल्क की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा जो कि आजीवन सदस्यता शुल्क से अधिक नहीं होगा ।

(3) संस्था के सभी नियमित/आजीवन सदस्य विभिन्न सभाओं में उपस्थित/सम्मिलित होकर संस्था सदस्यों/कार्यकारिणी के प्रस्तावों पर अपना मत प्रकट करने के साथ-साथ स्वयं की ओर से भी उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

नियम : 5 – सदस्यों की योग्यता

संस्था की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यता आवश्यक होगी ।

(1) ब्राह्मण स्वर्णकार समाज, जयपुर में निवास करने वाला 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का व्यक्ति संस्था की सदस्यता का पात्र होगा । अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होगी ।

(2) व्यक्ति का संस्था के उद्धेश्यों में विश्वास होना आवश्यक होगा ।

(3) व्यक्ति को संस्था के हितों को सर्वोपरि रख कर चलना होगा ।

(4) नेत्रहीन वयस्क व्यक्ति संस्था का केवल साधारण सदस्य हो सकेगा ।

(5) दुराचारी, अपराधी, पागल, शारीरिक/मानसिक विकृत तथा सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति सदस्यता का पात्र नहीं होगा ।

(6) नेत्रहीन और असाध्य रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति संस्था का कोई पदाधिकारी /कार्यकारिणी सदस्य/चुनाव अधिकारी नहीं हो सकेगा ।

(7) न्यायालय द्वारा नैतिक मूल्य प्रतिकूल प्रभावित होने से संबंधित अपराध की सजायाफ्ता व्यक्ति संस्था की सदस्यता का पात्र नहीं होगा ।

(8) सदस्यता ग्रहण करने के बाद नियम 5 के उप-नियम (5) से (7) में वर्णित कोई स्थिति उत्पन्न होने पर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी । तत्पश्चात् सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा । यदि किसी सदस्य ने इससे संबंधित तथ्य छिपाए तो वह संस्था द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा ।

मंत्री
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

अध्यक्ष
श्री ब्राह्मण स्वर्णकार पंचायत सभा (रजि.)
जयपुर

Scanned with CamScanner

Signature valid
Digitally signed by Su... Chand Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.2... 07:40 IST
Reason: Approved
Location:

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
(प्रकोष्ठ में जमा कराने वाली प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 764281

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता संख्या ICICI-675401700500

दिनांक 07/03/2022 Valid upto 06/04/2022

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.SHREE BRAHMAN SWARNKAR PANCHAYAT SABHA

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 06/04/2022)

Name of Bank PUNJAB NATIONAL BANK

Payment Mode-DD No. 277737 Date 02/02/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरूद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 764281

Contact No. 9460236035

हस्ताक्षर जमाकर्ता

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR
08 MAR 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर 88
(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या 764281

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता संख्या ICICI-675401700500

दिनांक 07/03/2022 Valid upto 06/04/2022

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH.SHREE BRAHMAN SWARNKAR PANCHAYAT SABHA

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 06/04/2022)

Name of Bank PUNJAB NATIONAL BANK

Payment Mode-DD No. 277737 Date 02/02/2022

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरूद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या 764281

Contact No. 9460236035

हस्ताक्षर जमाकर्ता

ICICI BANK LTD.
J.D.A. CAMPUS, JAIPUR
08 MAR 2022
SUBJECT TO REALISATION
CLEARING

AC UC/JR-1026